संख्या 31011/17/85-स्था.पना(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल, 1986

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- छुट्टी यात्रा रियायत योजना - ऐसे अविवाहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जिनके आश्रित मूल निवास स्थान में रहते हैं प्रत्येक वर्ष अपने मूल निवास स्थान को जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत की अनुज्ञेयता ।

....

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तत्कालीन गृह मंत्रालय के दिनांक 6 अक्तूबर, 1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/59-स्थापना (क) के अनुसार सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवन साथी तथा बच्चों को अपने मूल निवास स्थान में छोड़ रखा है वे केवल स्वयं ही मूल निवास को जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त कर सकते थे । राष्ट्रीय परिषद (सं.प. तन्त्र) के कर्मचारी पक्ष ने यह मांग की है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप अनुपूरक नियम 2(8) में दर्शाई गई "परिवार" की विस्तृत परिभाषा को देखते हुए उन अविवाहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी इसी प्रकार की ही सुविधा दी जानी चाहिए जिनके मां बाप, बहनें तथा छोटे छोटे भाई, जो उन पर पूर्णतया आश्रित हैं, उनके मूल निवास स्थान पर रह रहे हैं । इस मामले पर, 14/15 जनवरी, 1986 को हुई राष्ट्रीय परिषद (सं.प. तन्त्र) की 28 वीं साधारण बैठक में चर्चा की गई थी और यह निर्णय किया गया है कि उन अविवाहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी प्रत्येक वर्ष अपने मूल निवास स्थान को जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत की प्रसुविधा दी जाए जिन्होंने, उनपर पूर्णतया आश्रित मां बाप, बहनों और छोटे छोटे भाईयों को अपने मूल निवास स्थान में छोड़ रखा है । यह रियायत उन सभी अन्य छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाओं के स्थान पर दी जाएगी जो कि स्वयं सरकारी कर्मचारी को तथा उपर्युक्त मां बाप, बहनों तथा छोटे छोटे भाइयों को अनुज्ञेय है । इसके अतिरिक्त, इस कार्यालय ज्ञापन के प्रयोजन से "पूर्णतया आश्रित" शब्द का अर्थ वही होगा जो कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 1 मार्च, 1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19030/1/75-स्थापना-II-ख, में दिया गया है ।

2- वित्त मंत्रालय इत्यादि से अनुरोध है कि वे सरकार के उपरोक्त निर्णय को अपने नियंत्रणाधीन सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

3- जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

ए० जयरामन

(ए० जयरामन)

निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग
(सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)